भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3792
सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

युवाओं और प्रवासी कामगारों में रोजगार की स्थिति

3792. श्री जिया उर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर युवाओं और प्रवासी कामगारों में उच्च बेरोजगारी, अल्प रोजगार और औपचारिक रोजगार के अवसरों की कमी की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रमों और श्रम कल्याण उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश के अन्य भागों में बेरोजगारी और रोजगार की असुरक्षा प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सतत रोजगार सृजित करने और श्रमिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% और इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 16.7% से घटकर 9.1% हो गई है।

इसके अलावा, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार (औपचारिक नौकरियों सहित) दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% और इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 28.1% से बढ़कर 39.0% हो गया है।

सरकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र सहित देश में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, वस्त्र, चमड़ा आदि जैसे कार्यकलापों में लगे कुटीर उद्योगों सहित नए सूक्ष्म उद्यमों

की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रही है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (उत्तर प्रदेश सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'फ्यूचर स्किल्स प्राइम'** कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया है**,** जो असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप-सॉल्यूशन है**,** श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम **- "**वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" शुरू किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इससे ई-श्रम पर

पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक प्राप्त लाभों को देखने का अवसर मिलता है। अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावे का लाभ तथा पहुंच मिल सके।

ये चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, ये संहिताएं कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती हैं जिसमें असंगठित कामगार भी शामिल हैं।

ये नई श्रम संहिताएं उभरती तकनीकी और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कवरेज और रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण जिसके अंतर्गत संगठित और असंगठित कामगारों सहित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, के तहत कवरेज प्रदान किया गया है जिससे रोजगार संबंधी असुरक्षाओं के विरूद्ध सुरक्षा मजबूत हुई है।

(ii) श्रम सुरक्षा उपाय जिनमें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, के तहत पुन: कौशल निधि और विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं, इससे संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के दौरान कार्यबल समायोजन में सुविधा होगी।

(iii) डिजिटल प्रणालियों को अपनाना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न दाखिल करना और प्रौद्योगिकी-सक्षम निरीक्षण शामिल हैं ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

*****